

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-18/ 18/ दिनांक:—

आदेश

श्री निर्भयसिंह चौहान, नर्स श्रेणी द्वितीय, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आसपुर (डूंगरपुर) जिनकी जन्म तिथि 11.02.1958 है, को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 28.02.2018 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।

— sd —

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-18/ 18/119

दिनांक:—29/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज.जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर को उनके पत्रांक 4240 दिनांक 14.12.17 के क्रम में।
4. श्री निर्भयसिंह चौहान, नर्स श्रेणी द्वितीय को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।